

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2 (17) 2018 / कार्मिक / प्रमुवसं / 2839

दिनांक 01/07/2019

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3891-96 / सी दिनांक 13.06.2019 से श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को वर्ष 2014-15 की रिव्यू डीपीसी में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2495-2616 दिनांक 20.08.2018 से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति अनुसार जारी की गई वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 242 पर अंकित श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह का नाम सूची में विलोपित किया जाकर, सूची के क्रम संख्या 100 श्री गोविन्द सिंह के नीचे एवं क्रम संख्या 101 श्री वीरेन्द्र कुमार सुखवाल के ऊपर श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह को सूची क्रमांक 100 ए पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। इस वरिष्ठता के क्रम में किसी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को आपत्ति हो तो इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाकर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय की दिनांक 01.04.2018 की वरिष्ठता सूची में उक्तानुसार संशोधन का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जावेगा।

(सी.एस.रत्नासामी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2 (17) 2018 / कार्मिक / प्रमुवसं / 2840-2950

दिनांक 01, जुलाई 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. समस्त वनाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची आपके अधीन पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय को वितरण करवावें एवं इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
2. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अध्यक्ष, विभागीय कर्मचारी समन्वय समिति, वन विभाग जयपुर
4. श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह कार्यालय उप वन संरक्षक, स्टेज-1, छत्तरगढ़।
5. रक्षित पत्रावली।

(योगेन्द्र सिंह कालवी)

उप वन संरक्षक (संस्थापन),  
राजस्थान जयपुर